कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

इन्द्रावती भवन, प्रथम तल, ब्लॉक दो
फोन नं. 0771–2234583, 2234578, फैक्स नं. 0771–2237480, 2234579
ई–मेल clr-cg@nic.in

क्रमांक / 3604 आ.भू.अ. / स्था–2 / 2023 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/06/23

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– पटवारियों एवं अन्य लोक सेवकों द्वारा शासकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किये गये कार्यों के संबंध में शिकायत पर कार्यवाही।

संदर्भ :– पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, सेक्टर –19, नया रायपुर का पत्र दिनांक 13.06.2010

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व पटवारी संघ द्वारा शासन के ध्यान में लाया गया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें किसी पक्षकार द्वारा हल्का पटवारी के विरूद्ध पुलिस थानों में शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत शासकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान पटवारी या अन्य लोक सेवक के रूप में किये गये कार्य पर पुलिस द्वारा सीधे ही आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है।

उपरोक्त संबंध में लेख है कि पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त पुलिस अधीक्षक छ.ग. को पत्र दिनांक 13.06.2010 द्वारा पटवारियों एवं अन्य लोक सेवकों द्वारा शासकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किये गये कार्यों के शिकायत पर कार्यवाही के संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी किये गये हैं –

''ऐसे शिकायतों में, जहाँ संज्ञेय अपराध प्रकट होने या न होने के बारे में संदेह है और भ्रष्टाचार का आरोप है, प्रारंभिक जांच करने का प्रावधान है। अतः ऐसे प्रकरणों में संबंधित लोक सेवक के नियंत्रक अधिकारी/जिला दण्डाधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर प्रारंभिक जाँच कर यह सुनिश्चित कर लें कि संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया है कि नहीं। यदि संज्ञेय अपराध प्रकट होता है, तब अपराध पंजीबद्ध किया जाए। यदि संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता सहित संबंधित लोकसेवक के नियंत्रक अधिकारी/जिला दण्डाधिकारी को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सूचित किया जाये। हर हालत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा WP (Cr.) 68/2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक जाँच 07 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाये।''

अतः पटवारी एवं अन्य लोक सेवकों के संबंध में उपरोक्त निर्देश का पालन कराए जाने हेतु सर्व संबंधितों को निर्देशित करें।

16/6/23

सचिव सह आयुक्त
भू–अभिलेख छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्रमांक/ 3605 /आ.भू.अ./स्था–2/2023 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/06/23

प्रतिलिपि :–

समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

सचिव सह आयुक्त

भू–अभिलेख छत्तीसगढ़

नवा रायपुर अटल नगर

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सेक्टर – 19 नया रायपुर 492002

क्रमांक पु.मु. अ.अ.वि. शा. 2016 / [illegible] नया रायपुर दिनांक [illegible] 06 2016

प्रति

समस्त पुलिस अधीक्षक,

छत्तीसगढ़ ।

विषयः– पटवारियों एवं अन्य लोक सेवकों द्वारा शासकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किये गये कार्यों के संबंध में शिकायत पर कार्यवाही ।

–0–

शासकीय के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आए हैं, जिनमें किसी पक्षकार द्वारा पुलिस थानों में शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर कि शासकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान पटवारी या अन्य लोक सेवक ने नियम विरुद्ध या त्रुटिपूर्ण कार्य किया है, पुलिस द्वारा सीधे ही आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है ।

2/ ऐसे शिकायतों में, जहाँ संज्ञेय अपराध प्रकट होने या न होने के बारे में संदेह है, और भ्रष्टाचार का आरोप है, प्रारंभिक जाँच करने का प्रावधान है ।

3/ अतः निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में संबंधित लोकसेवक के नियंत्रक अधिकारी/जिला दण्डाधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर प्रारंभिक जाँच कर यह सुनिश्चित कर लें कि संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया या नहीं । यदि संज्ञेय अपराध प्रकट होता है, तब अपराध पंजीबद्ध किया जाए । यदि संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता सहित संबंधित लोकसेवक के नियंत्रक अधिकारी/जिला दण्डाधिकारी को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सूचित किया जाये ।

4/ हर हालत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा WP (Cr.) No. 68/2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक जाँच 7 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाये ।

पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़